

2019/00234

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली  
पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

अनिल कुमार मीना पुत्र ठण्डीराम मीना ग्राम पहाडपुरा पो0 किशोरपुरा तहसील सपोटरा  
जिला करौली - अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली - रेस्पोंडेण्ट

मु.नं.-18/19


ता.रजु-04.10.19

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक-21.10.2019

1. उभय पक्ष उपस्थित नहीं।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को दिनांक-27.02.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत जोड़ली भाग 1/2 के राशन डीलर कमल मीना से संबंधित वितरण, स्टॉक आदि की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 27.02.2019 को आवेदन पत्र प्रेषित करने के लगभग 9 माह बाद यह प्रथम अपील पेश की है। विलंब से अपील पेश करने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है।
5. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं

जिला कलक्टर

करौली

